कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– 6197/जि0 दि0 ज0/योजना/2024–2025 दिनांक 20/अगस्त 2024

समस्त विभागीय पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाये
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषयः– दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत आवेदन कराये जाने के संबंध मे।

आप अवगत ही है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण व्हील चेयर बैशाखी, ट्राईसायकिल, कान की मशीन प्रदान किया जाता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया आप अपने स्तर से उक्त योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु दिव्यांगजनो के आवेदन अपने स्तर से divyangjanup.upsdc.gov.in करवाने का कष्ट करे ताकि जनपद गौतमबुद्धनगर में अत्यधिक दिव्यांगजनों को शासन द्वारा प्रदान की जा रही योजना से लाभान्वित किया जा सके। आवेदन प्रपत्र निम्नानुसार हैः–

1– आय प्रमाण पत्र।
2– दिव्यांग प्रमाण पत्र
3– आधार कार्ड
4–दिव्यांगता प्रदर्शित फोटो।

(आशीष कुमार सिह)
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग मेरठ मण्डल मेरठ को अवलोकनार्थ ।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

दिव्यांगता पहचान कार्ड योजना (यू०डी०आई०डी०) के उद्देश्य व लाभ

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र बनाने की शुरूआत की गयी है, जिसमें जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगें, जो पूरे भारत में मान्य होंगें।

दिव्यांगजनों को भविष्य में विभिन्न लाभ प्राप्त करने हेतु यूनिक डिसएबिलिटी आई०डी० कार्ड दिव्यांग की पहचान / सत्यापन के लिए एकल दस्तावेज होगा। दिव्यांगजनों को अधिक दस्तावेजों को कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कार्ड में सभी आवश्यक विवरण अंकित होंगें। आवेदन करने के लिए अहृनलाईन वेबसाइट www-udidcard-gov-in पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति एवं एक पासपोर्ट फोटो (जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो) के साथ आवेदन किया जा सकेगा। यह आवेदन कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, साइबर कैफे या जनसुविधा केन्द्र से भी किये जा सकेंगें।

1- निराश्रित दिव्यांग पेंशन योजना-

दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांगो को रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन की धनराशि दी जाती है।

1. दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो हो।
2. दिव्यांग का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन (18 वर्ष) हो।
3. दिव्यांग व्यक्ति की न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत का प्रमाण पत्र हो।
4. दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 56460/- से अधिक नहीं हो।
5. ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संलग्न कर खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र पर सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी की संस्तुति हो।
6. दिव्यांग व्यक्ति का अपने किसी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता हो।
7. दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र हो।

यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन है तथा अभ्यर्थी https://sspy-gov.nic.in की वेबसाइट पर अपने नजदीकी जनसुविधा केन्द्र पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है।

2- कुष्ठावस्था पेंशन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत जिला कुष्ठ रोग अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसमें दिव्यांगता प्रतिशत निर्धारित नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत 3000/- प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन की धनराशि दी जाती है। अन्य शर्तें दिव्यांग पेंशन वाली होती है।

3- दिव्यांग कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना-

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगो को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी दी जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता निम्नवत है-

1. दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो हो।
2. दिव्यांग का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि अंकन हो।
3. दिव्यांग व्यक्ति की न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण पत्र हो।
4. दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 56460/- से अधिक नहीं हो तथा आय प्रमाण पत्र मा० जनप्रतिनिधि, विधायक, खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान का मान्य होगा

5. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के डाक्टर की उपकरण हेतु संस्तुति होनी चाहिए।
6. दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड व जाति प्रमाण पत्र हो। आवेदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन पत्र कार्यालय / खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त कर अभ्यार्थी सीधें कार्यालय में जमा करा सकता है।

4- दिव्यांग दुकान संचालन योजनाः

इस योजना के अन्तर्गत गुमटी, ठेला क्रय हेतु रूपये 10000.00 का ऋण दिया जाता है जिसमें से रूपये 7500/- ऋण की धनराशि व रूपये 2500/- अनुदान की राशि दी जाती है। इस योजना में ऋण की धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लाभार्थी को देना होता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता निम्नवत है-

1. दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो हो।
2 दिव्यांग का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो (18 वर्ष) हो।
3. दिव्यांग व्यक्ति की न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत का प्रमाण पत्र हो।
4. दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 56460/- से अधिक नहीं हो।
5. दिव्यांग व्यक्ति का अपने किसी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता हो।
6. दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र हो।
7. यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन है तथा अभ्यार्थी को तथा स्वयं http://divyangjandukanup.upsdc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है।

5- दिव्यांगजन से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार योजनाः

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग युवक से सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर रूपये 15000 व दिव्यांग युवती से सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रूपये 20000 व युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रूपये 35000 की धनराशि दी जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता निम्नवत है।

1. दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम (विवाह की संयुक्त) फोटो हो।
2 दिव्यांग का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो।
3. दिव्यांग युवक / युवती की न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत का प्रमाण पत्र हो।
4. दिव्यांग दम्पत्ति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो।
5. शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
6. जिसका पूर्व से कोई पति या पत्नी ना हो और उनके उपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।
7. दिव्यांग व्यक्ति का अपने किसी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता हो।
8. दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र हो।
9. दिव्यांग दम्पत्ति का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन है तथा अभ्यर्थी http://divyanganjan.upsdc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर